

पत्रांक-श्रम क०सं०-76/2026-1124
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, नालन्दा के ज्ञापांक (कॉलम 6 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु कक्षा पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत 02 छात्र/छात्रा को प्रति छात्र/छात्रा रू० 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) की दर से कुल राशि रू० 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगारों/शिल्पकारों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम एवं आधार संख्या	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का कक्षा/ संस्थान	माता एवं पिता का आधार संख्या	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता/मो० नं०	पुत्र/पुत्री का बैंक एवं खाता संख्या/आई.एफ.एस. सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, 52, पिता- श्री शिवनन्दन प्रसाद, पिछड़ा वर्ग, दिहारी मजदूरी का कार्य	सन्नी सौरभ	Govt. poltechinc, Kishanganj/ Diploma./ (Civil Eng.)/ 1st year/ 2025-2028	माता का आधार सं०-3585478 63137 पिता का आधार सं०-6827773 86423	1239 23.07.2026	ग्रा०-करनी बिगहा, पो०+था०- औंगारी, प्र०-अस्थावाँ, जिला-नालन्दा 9905457994	CBI 5350178045 CBIN028 1280	रू० 10,000 / - (दस हजार रुपए)
2	श्री राजीव रंजन कुमार अकेला, 39, पिता- विजय सिंह, सामान्य वर्ग, कृषि का कार्य	रितिक रंजन	Govt. poltechinc, Kishanganj/ Diploma./ (Civil Eng.)/ 2nd year/ 2024-2027	माता का आधार सं०-7117874 10638 पिता का आधार सं०-9996869 53486	1239 23.07.2026	ग्रा०+पो०- मीरनगर, प्र०+था०-सरमेरा, जिला-नालन्दा 8292984699	SBI 37103319 675 SBIN0002 914	रू० 10,000 / - (दस हजार रुपए)

कुल :-रू० 20,000/-

(बीस हजार रुपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, (संशोधन) 2024" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 09) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 03 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 08 में किया जाएगा।

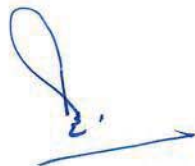
ह०/-
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :-श्रम क०सं०-76/20256-11241

पटना, दिनांक :- 21/08/2026

प्रतिलिपि :-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 09 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 20,000/- (बीस हजार रुपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, नालन्दा/उप श्रमायुक्त, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं



प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18/08/2024
(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti
(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक